



संचिका सं. 60-C/12/18/2014-Estt.

दिनांक:27-05-2025

ज्ञापन

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संदर्भ में “आंतरिक शिकायत समिति” (Internal Complaint Committee) का गठन।

Sub: Constitution of “Internal Complaint Committee” in connection with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड द्वारा “आंतरिक शिकायत समिति” का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप में अनुमोदित किया गया है:

As per section 4, the “Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Regional Director (I/C), Regional Office, ESIC, Jharkhand has approved a fresh constitution of the “Internal Complaint Committee” which are as under:-

S. No.	Name & Designation of Members (Shri/ Smt./ Kum.)	Nominated as
1.	Dr. Archana Tirkey, SMO, ESIC R.O., Ranchi	Presiding Officer
2.	Mayank Shekhar, D.D., ESIC, R.O. Ranchi	Member Secretary
3.	Nirbhay Kumar Singh, Supdt., ESIC, R.O. Ranchi	Member
4.	Aparajita Mishra, State Co-ordinator, Maitri India, Ranchi	External Member from NGO

उक्त “आंतरिक शिकायत समिति” का कार्यक्षेत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय, सभी शाखा कार्यालयों तथा औषधालय सह शाखा कार्यालयों तक विस्तारित होगा। समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य इस ज्ञापन के निर्गमन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक / समिति के पुनर्गठन की तिथि तक / जब तक वे अपने संस्थान में कार्यरत हैं, इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।

The jurisdiction of the said “Internal Complaint Committee” shall extend to the Regional Office and all the Branch Offices and DCBOs of ESIC, Jharkhand Region. The Presiding Officer and other members of the Committee shall hold office for a period not exceeding three years from the date of issue of this Memorandum or up to the date of reconstitution of the Committee or till they cease to work in their Organization whichever is earlier.

उप निदेशक (प्रशा.) / Deputy Director (Admn.)

सेवा में/ To,

सभी आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य/ All the Members of the Internal Complaint Committee.

प्रतिलिपि / Copy to:-

1. महानिदेशक (एस.सी.टी.), मुख्यालय कार्यालय, ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली।
The Director General (SCT), Hqrs. Office, ESIC, New Delhi.
2. महानिदेशक (सतर्कता), मुख्यालय कार्यालय, ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली।
The Director General (Vig.), Hqrs. Office, ESIC, New Delhi.
3. बीमा आयुक्त, पी & ए, मुख्यालय कार्यालय, ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली।
The Insurance Commissioner, P & A, Hqrs. Office, ESIC, New Delhi.
4. चिकित्सा आयुक्त के निजी सचिव, आंचलिक चिकित्सा आयुक्त का कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, राँची / PS of Medical Commissioner, Office of the Zonal Medical Commissioner, East Zone, Ranchi, Jharkhand.
5. बीमा आयुक्त के निजी सचिव, आंचलिक बीमा आयुक्त का कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, राँची / PS of Insurance Commissioner, Office of the Zonal Insurance Commissioner, East Zone, Ranchi, Jharkhand.
6. राज्य चिकित्सा अधिकारी, क्षे.का., क. रा. बी. निगम, राँची / SMO Office, R.O., Ranchi.
7. सभी शाखा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची।
All Branch Officers, ESIC, R.O. Ranchi.
8. सभी शाखा प्रबंधक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखंड क्षेत्र के शाखा कार्यालय।
All Branch Managers, Branch Offices of ESIC, Jharkhand Region.
9. आई.टी. सेल, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The IT Cell for uploading the Memorandum on the Regional Website of ESIC, Jharkhand.